कुछ उपयोगी पुस्तकें

क्रम.	पुस्तक का नाम	लेखक/प्रकाशक	मूल्य
1.	झारखण्ड में आदिवासियों की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था	- बीर सिंह सिंकु	[illegible]
2.	रोरो सिंचाई परियोजना सिंहभूम (एक अध्ययन)	- स्टेन लुर्दूस्वामी	5/-
3.	स्वशासन का झारखण्डी दावा	- स्टेन लुर्दूस्वामी	15/-
4.	Jharkhandis Claim for Self Rule	- Stan Lurdswamy	40/-
5.	Jai Jharkhand	- Sarini & Birsa-Jo ar	50/-
6.	महात्मा पूर्ण चन्द्र बिरुआ	- घनश्याम गागराई	10/-
7.	लड़का कोल	- चन्द्रभूषण देवगम	5/-
8.	अबुवः राज स्वराज के लिए झारखण्डियों का संघर्ष एक संक्षिप्त परिचय	- मैथ्यू अरीपरम्पिल	30/-
9.	जोहार सकम (मासिक पत्रिका)	- जोहार का मुख पत्र	2/-
10.	प्रीति जीबोन (हो गाना कैसेट)	- राजेन्द्र बिरुवा	35/-
11.	तिंगू रूवड़ (पत्रिका)	- ईपील प्रकाशन	5/-
12.	परिचय आदिवासी हो समाज	- घनश्याम गागराई	15/-
13.	सुवर्णरेखा का आह्वान	- विस्थापित मुक्ति वाहिनी	10/-
14.	कोल्हान एवं पोड़ाहाट में मानकी मुन्डा प्रशासनिक व्यवस्था एवं भूमिका	- घनश्याम गागराई	15.50
15.	बसुधा क्षिति के प्रवर्त्तक गुरु लाको बोदरा	- घनश्याम गागराई	15/-
16.	हो दिशुम किली मिला किली को	- बिरसा	5/-
17.	[illegible]		30/-
18.	[illegible]		30/-

इसके अलावा ग्राम सभा से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध है।

उपलब्धि स्थान :

बिरसा
बिन्दराय इन्स्टीच्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एण्ड एक्शन
उम्बुल, गद्दी टोला, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833 201
☎ : (06582) 252416/252159

किलि-मिलि झारखण्ड स्टोर
शहीद पार्क
दूकान नं० -8, चाईबासा
पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833 201

विल्किनसन-रूल्स

गवर्नर जेनरल के एजेन्ट के मातहत पड़ने वाले क्षेत्रों में

लोक न्याय मुहैया करने के लिये रेगुलेशन सन् 1833 XIII के अन्तर्गत नियम-कानून

B. I. R. S. A.

प्रकाशक :
विनन्दराय इन्स्टीच्यूट रिसर्च फॉर स्टडी एण्ड एक्शन
चाईबासा (झारखण्ड)

सहयोग राशि - 5/-

दो बातें

इतिहासकारों का कहना है कि 'हो' आदिवासी वह जाति रही है जिसने कभी भी दासता स्वीकार नहीं की। जब सारा भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा था तब केवल 'हो' समुदाय ही आजादी की सांस ले रहा था। 'हो' आदिवासियों को कई बार अंग्रेजों ने अपने अधीन रखने का प्रयास किया परंतु हर बार उन्हें करारा जवाब मिला। सबसे भयानक विद्रोह 1831–32 का था जिसे "कोल विद्रोह" के नाम से जाना जाता है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1831 का बंगाल रेगुलेशन 13, दिनांक 2 दिसम्बर 1833 को गवर्नर जेनरल इन काउंसिल से पारित हुआ। इसी के तहत सन् 1837 को विल्किनसन–रूल्स बने। इस नियम–कानून का मुख्य उद्देश्य था इस क्षेत्र में सदियों से चले आ रहे पारम्परिक व्यवस्था के माध्यम से अच्छा प्रशासन देना और शीघ्र ही सामान्य और सस्ता न्याय दिलाना। इसके साथ ही यहां की जमीन को गैर–आदिवासियों के हाथों में जाने से बचाना। विल्किनसन–रूल्स में 31 नियम–कानून बनाये गये हैं जिनका वर्णन आगें किया गया है। यह मूलतः अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तर है।

देवेन्द्र नाथ हांसदा

Name:- Pratap Singh Banra

विल्किनसन–रूल्स

गवर्नर जेनरल के एजेंट के मातहत पड़ने वाले क्षेत्रों में लोक न्याय मुहैया करने के लिये रेगुलेशन सन् 1833 XIII के अन्तर्गत नियम–कानून :–

1. व्यक्तिगत अथवा स्थायी सम्पत्ति से संबंधित तीन सौ रुपये मूल्य तक के और उससे नीचे मूल्य के दीवानी मुकदमें मुन्सिफी या ग्रामीण मुखियाओं अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुन्सिफी अधिकार दिये जायेंगे निर्णय देने का अधिकार होगा। परन्तु कचहरियों के कर्मचारी, युरोपियन और अमेरिकन पार्टी पर के मुकदमें इनके अपवाद होंगे। ऐसे सम्पत्ति का केस जिन्हें कर मुक्त रखा गया हो और जायदाद की सम्पूर्ण मूल्य का प्रश्न न उठकर व्यक्तिगत क्षति या नुकसान का मामला हो वे मुफ्फसिल आधार पर भी मुन्सियों के अधीन नहीं दिया जाएगा। ऐसे केस सीधे गवर्नर जेनरल के एजेन्ट के सहायकों के ही सुपूर्द किये जायेंगे।

2. किसी भी मूल्य के दीवानी मुकदमें साधरणतः उसी क्षेत्र में स्थित सहायक अदालतों में दायर होंगे जिस क्षेत्र में उक्त मुकदमा अथवा उसकी प्रतिक्रिया उठ रही हो और जहां पार्टी का निवास हो। परन्तु गवर्नर का एजेन्ट, यदि आवश्यक समझे या जरूरत पड़े तो किसी भी मुकदमें को आरम्भ से ही अपने अदालत में दर्ज करा सकते हैं। ऐसे

मुकदमों अथवा वे मुकदमें और अपील निम्न अदालतों से उसके यहां आये हों और उन्हे सुनने और फैसला देने का उसे पूर्ण अधिकार है।

3. किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति के दीवानी मुकदमें की सुनवाई जो इस नियमादेश के लागू होने की तिथि से छह वर्ष पूर्व आरम्भ किये गये हों, उसी क्षेत्र के किसी भी अदालत में नहीं की जायेगी। 12 वर्ष पूर्व के सभी वास्तविक सम्पत्ति के केसों के लिये यही नियम लागू होगा। समाहर्ता के अधिकार रखने वाले अदालत सहायकों द्वारा सुने जाने और निर्णित होने वाले सभी मुकदमें शुरू होने से एक वर्ष के अन्दर ही दर्ज होने चाहिये। यदि मुकदमा जबरदस्ती जमीन बेदखली का हो तो उसे तीन महीने के अन्दर दर्ज कर देना है। अवधि की समाप्ति पर अदालत विलम्ब के लिये प्रस्तुत कारणों से सन्तुष्ट हों तो देरं से भी केस ले सकते हैं। हिस्सा अथवा धोखा देकर हड़पे गये सम्पत्ति के मुकदमों को उनके महत्व के आधार पर अदालत सहायक निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भी सुनवाई कर सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं।

4. सभी मुकदमों की हर अदालत में जांच, सुनवाई और निर्णय आम पार्टियों अथवा उनके प्रतिनधियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

5. सभी मुकदमों के आवेदन शिडयुल बी0 नं0 3 रेगुलेशन 10–1826 द्वारा निर्धारित मूल्य के टिकट युक्त कागज में

ही होना चाहिये। उनके प्रतिवेदन शिडयुल, बी0 नं0–9 रेगुलेशन 10–1829 द्वारा निर्धारित मूल्य के टिकट युक्त कागजों में लिखे जाने चाहिये। यदि एजेन्ट अथवा उनके सहायक, जिनकी अदालत में मुकदमा दर्ज एक या दोनों पार्टियों के शुल्क देने की अक्षमता से संतुष्ट हो तो शुल्क माफ साधारण कागज में वादी को आवेदन करने और प्रतिवादी को जवाब देने की छूट दे सकते हैं। परन्तु आधारहीन तथा परेशानी के लिये मामला दर्ज करने वाले व्यक्ति को अदालत में स्वनिर्णय पर हल्का जुर्माना किया जा सकता है और चुकती नहीं करने पर एक महीने तक का कारावास दिया जा सकता है। निजी अथवा वास्तविक जमीन, मकान, बाग–बगीचा आदि के मूल्य, शिडयुल बी नं0–8 रेगुलेशन 10–1829 की टिप्पणियों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे और क्षतिपूर्ति, आघात और बेजात होने के मामलों में वादी से प्रस्तुत दावा का निर्धारण भी उसी आधार पर किया जायेगा।

6. वादी पत्र और उसके जवाबी पत्र को छोड़कर अन्य आवेदन, बहस, राजीनामा आदि के लिये स्टैम्प कागज जरूरी नहीं होगा।

7. बकाया रकम, गलत मालगुजारी चुकतियों अथवा विवादपूर्ण मालगुजारी आदि की शिकायतें स्टैम्प रहित साधारण कागज पर लिये जायेंगे और अदालत उनकी सुनवाई तथा फैसला करेगा। कोई पार्टी अदालत के फैसले को

नामंजूर करे तो एजेन्ट के अदालत में अपील के लिये स्वतंत्र है।

8. सभी मुकदमें जो अदालत में दर्ज होंगे सम्पत्ति के मूल्य का दावा और उसका सूद वाद पत्र में ही स्पष्ट अंकित होना चाहिये। वाद पत्र के दर्ज हो जाने पर अदालत प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर निश्चित तिथि या उससे पहले अदालत में उपस्थित होने का सम्मन या नोटिश जारी करेगा। इस तरह का सम्मन या नोटिश उस गांव के मुण्डा अथवा जागिर के प्रधान द्वारा जहां प्रतिवादी का निवास है अदालत के जमादार के जरिये तामिल की जायेगी। अदालत जमादार के द्वारा ही निश्चित तिथि को नोटिश उसके तामिल के प्रतिवेदन के साथ अदालत को वापस किया जायेगा।

9. यदि प्रतिवादी उपस्थित होकर वाद पत्र या नालिश का जवाब दे दें तो अदालत मामले के आधार और महत्व को निर्धारित करने के लिये पार्टियों से उचित पूछताछ करेगा और उसका लेखा रखेगा। तभी अदालत मामले के तहकीकात का आदेश देगा तथा दोनों पार्टियों को सुनवाई की तिथि सूचित करेगा। इन मामलों में जहां प्रतिवादी, वादी के दावे की सत्यता स्वीकार कर लेगा, बहस की आवश्यकता नहीं होगी।

10. यदि किसी मामले में प्रतिवादी फरार हो जाये अथवा

अपनी उपस्थिति देने की लापरवाही करे तो एजेन्ट का अथवा अन्य अदालत—जहां भी केस दर्ज है—सम्मन या नोटिस की वापसी के तीन सप्ताह बीतने पर मामले का "एकतरफा" विचार और फैसला कर देगा। अथवा जब वादी ही मामले को आगे बढ़ाने की लापरवाही करे तो तीन सप्ताह के बाद मामला खारिज कर दिया जायेगा जबतक कि वह देरी के उचित कारणों की सम्पुष्टि नहीं कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में मुन्सिफ के लिये एजेन्ट को सूचित करके उनका आदेश लेना जरूरी होगा कि मामले का एकतरफा विचार हो। सम्मन प्रतिवादी तक पहुंचाया गया या नहीं अथवा प्रतिवादी की लापरवाही की सत्यता प्रमाणित हुई या नहीं इसे जांचना अदालत का कर्त्तव्य होगा।

11. मामलों में पार्टियों के गवाहों को सम्मन देकर उपस्थिति या हाजिरी के लिये बुलाया जायेगा, जो गांव के मुण्डा अथवा जागिर के प्रधान, जहां वे रहते हों तामिल किया जायेगा अथवा पार्टियों के द्वारा उन्हें बुलाया जा सकता है। अथवा अदालत के जमादार द्वारा भी दिया जा सकता है। यदि कोई गवाह अनुपस्थित होता है या उपस्थित होने से इन्कार करता है तो उसे अदालत से तय किया गया जुर्माना किया जायेगा और आवश्यकता पड़े तो उसकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अदालत गवाहों के कोर्ट आने जाने और खाने–पीने का खर्च की फिरौती के लिये या भार उठाने के लिये

पार्टियों को ही आदेश दे सकता है। गवाहों से बयान, हिन्दी अथवा बंगला में, जिसे वे अधिक जानते–बोलते हों, लिया जायेगा। अदालत हर गवाह को ऐसी शपथ दिलायेगा जो उसके अन्तःकरण के अनुसार होगी। ऐसे गवाह जो असाधारण दूरी पर रहते हों अथवा बीमारी या अन्य विशेष कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते हों तो उनके निकटतम मुन्सिफ या थानेदार द्वारा बयान लिया जायेगा। अथवा उसके लिखित बयान को अदालत स्वीकार करेगा।

12. बिहार क्षेत्र में अदालत की कार्यवाही हिन्दी में और बंगाल क्षेत्र में बंगला भाषा में लिखी जायेगी। पार्टियां हर मामलों में स्वयं ही अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिये अथवा किसी प्रतिनिधि से वकालत कराने के लिये स्वतंत्र है।

13. एजेन्ट या मुन्सिफ द्वारा दिये जाने वाले मुकदमों के लिखित फैसले में बयान लिये गए गवाहों के पूरे नाम खर्च का ब्योरा रुपया में अथवा निर्णित सम्पत्ति का मूल्य किसी भी प्रकार के मुकदमों का कुल खर्च, वादी या प्रतिवादी या दोनों से देय होने की बात, अगर दोनों से देय हो तो किस अनुपात में, यह तथ्य एजेन्ट या मुन्सिफ द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किये जाएंगे और इसके लिये पार्टियों से अतिरिक्त खर्च नहीं वसूला जायेगा। अगर इन नियमों से कोई विशेष आदेश न हो तो दोनों पार्टी मामलों के लिखित फैसले के बाद दस दिनों के अन्दर मुहैया कर दिया जायेगा।

14. विशेष कारण न हो तो मुन्सिफ के अदालत से एजेन्ट के सहायक के अदालत में और सहायक के अदालत से एजेन्ट के अदालत में ही किसी फैसले के विरूद्ध का सिलसिला होगा। फैसला देने के बाद छह सप्ताह के अन्दर अपील पड़ जाना चाहिये। हर अपील में फैसले को अस्वीकार करने में यहां का पूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिये और अपीलकर्त्ता नितान्त गरीब न हो तो हर हालत में शिडयुल बी० नं०–8 रेगुलेशन 10–1829 से निर्धारित स्टैम्प कागज में लिखकर देना चाहिये। अपील पड़ जाने पर भी मुन्सिफ या सहायक द्वारा किए गए निर्णय की कार्रवाई नहीं रुक सकती है जबतक कि अपीलकर्त्ता जमानत पेश नहीं करता। जमानत जमा करने के असफल होने पर प्रतिवादी फैसले की कार्रवाई के लिये अदालती आदेश लेने के बाद स्वतंत्र हो जायेगा। परन्तु उसे भी उच्च अदालत के निर्णय को सही मानने के लिये जमानत जमा करना पड़ेगा।

15. मुन्सिफ के निर्णय की अपील एजेन्ट के सहायक को या एजेन्ट के सहायक के निर्णय की अपील एजेन्ट को दी जाये तो प्रतिवादी की आरम्भ से ही उपस्थिति के लिये सम्मन देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मुकदमें के मूल कागजात तत्काल प्रस्तुत किये जाएंगे और अपीलकर्त्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपील एवं मूल कागजातों की जांच की जायेगी। उनके अध्ययन के बाद एजेन्ट का सहायक अथवा एजेन्ट, जहां भी अपील पड़ा

ो, निम्न अदालत के निर्णय में परिवर्त्तन की आवश्यकता
। समझे तो उसी निर्णय की ही पुष्टि करने का अधिकार
ससे होगा। अपना सम्पुष्टि आदेश वह निम्न अदालत को
गा जहां उसकी पुनः पुष्टि की जायेगी और तब अपीलकर्त्ता
ो सूचित किया जायेगा। इस तरह अपीलकर्त्ता फैसले
ी कार्रवाई पूरा कराने के लिये स्वतंत्र हो जायेगा।

पील के किसी भी मामले में एजेन्ट अथवा उसका
हायक अतिरिक्त गवाही की मांग कर सकता है या तो
चले अदालत को ही अतिरिक्त गवाही के लिये मामला
पस भेज सकता है जब उसे जंच उठे कि मामले को
ी तहकीकात नहीं की गई है। किसी मुन्सिफ या उसके
हायकों द्वारा फैसला दिये गये मामलों में यदि कोई
र्टी एजेन्ट के यहां अपील न करके केवल उसके
वलोकन के लिये आवेदन दें, तो एजेन्ट या उसके
हायक को आवेदन में दिये गये कारणों की औचित्यों को
खते हुए, निचले अदालत के फैसले पर पुनर्विचार का
। अधिकार रहेगा। ऐसा पुनर्विचार तभी संभव होगा जब
हें इसके लिए आवेदन निर्णय सुनाने के बाद 6 सप्ताहों
अन्दर दिया जाए और 6 सप्ताहों की समाप्ति पर अगर
वेदन पड़ा हो तो देरी के उचित कारण स्पष्ट किये
एं। एजेन्ट या उनका सहायक उचितानुचित के
धार पर निचले अदालतों में लंबित किसी मामले को
ने अदालत में अथवा अन्य अदालतों में बदली करने
भी अधिकार रखता है जिसके लिये वह अपने हस्ताक्षर

तथा कार्यालय मुहर के साथ आदेश जारी करेगा।

17. किसी मामले की डिग्री या निर्णयादेश को एजेन्ट या उसके सहायक की अदालत स्वयं जारी कर सकता है अथवा किसी मुन्सिफ को उसके अनुपालन का हुक्म दे सकता है। अन्य सभी मामलों के डिग्री आदेश उसी अदालत द्वारा जारी किये जाएंगे जहां मामलों की प्राथमिक सुनवाई और विचार किया गया था। डिग्री के अनुसार सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री अथवा देहीन्दा या सजायाफता व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा कारावास आदि तत्काल पालन किया जायेगा। सभाओं तथा ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें एजेन्ट बरी रखना चाहते हों उनके प्रति ऐसा डिग्री आदेश रोक दिया जा सकता है। डिग्री आज्ञप्ति का पालन अदालत द्वारा नियुक्त अदालत कर्मचारी अथवा जागिर के मुख्य कार्यकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

18. अदालत द्वारा निर्धारित दण्ड राशि देने में अक्षम, दिवालिया देहिन्दा या उनके जमानतियों को माफ कर देने का अधिकार सिर्फ एजेन्ट को ही रहेगा। परन्तु उन्हें शपथ लेकर अपनी पूर्ण सम्पत्ति का खुला ब्योरा लिखित रूप में देना पड़ेगा जिसके पूर्ण जांच पड़ताल के बाद जब एजेन्ट पूरी तरह आश्वस्त हो जाएँगे कि हिरासत में रखा गया देनदार या जमानती ने अपने अधीन की अपनी सारी सम्पत्ति की सही घोषणा की है, और उसे अदालत को कार्यवाही के लिये सौंप दिया है तो उसे वे हिरासत से

मुक्त कर दे सकते हैं। माफी प्राप्त देनदार यदि बाद में कोई सम्पत्ति हासिल करें तो वे देनदार अदालत में आवेदन देकर उसकी बिक्री का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है वो उसे रूल 27 के आधार पर ही दिया जा सकता है। घोषित सम्पत्ति में यदि धोखाबाजी प्रमाणित हो जाए तो लेनदार को अधिकार होगा कि देनदार को पुनः हिरासत में लिये जाने की मांग करें।

19. किसी दिवानी मुकदमें के फैसले के आधार पर कैद में रखे गये व्यक्ति को अदालत के नियुक्त कर्मचारी के मार्फत प्रतिदिन दो आना के दर पर जीविका भत्ता दिया जायेगा जो उस पार्टी से देय होगा जिनके केस करने पर उसे सजा दी गई है। अदालत का नियुक्त कर्मचारी तुरन्त ही पार्टी से एक महीने की राशि अग्रिम वसूल कर जमा कर देगा। अग्रिम राशि न जमा कर सकने पर कर्मचारी बारह घंटे के अन्दर एजेन्ट को अथवा उसके सहायक को इसकी सूचना दे देगा। ऐसी परिस्थिति में कैदी को तत्काल रिहा कर दिया जायेगा। यह भी नियमबद्ध कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को जिसे किसी फैसले के आधार पर पचास रूपये तक अर्थ दंड दिया गया हो 6 महीने से अधिक अवधि का व्यक्तिगत कारावास नहीं दिया जायेगा और इस अवधि के पूर्ण होते ही उसे रिहा कर दिया जायेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पूरा या बकाया जुर्माना की अदायगी के लिये फैसले के मुताबिक बिक्री की जा सकती है। पंचायत

द्वारा केस सुनवाने के लिये निम्नलिखित नियम जारी किया जाता है उसे रूल 20 में देखें।

20. गर्वनर जेनेरल के एजेन्ट या उसके सहायकों को यह अधिकार रहेगा कि वाद पत्र के दायर हो जाने पर और जब, प्रतिवादी का उत्तर भी हस्तगत हो जाने पर वे मामले के फैसले के लिये केस एक पंचायत को सुपूर्द कर सकते हैं। यह कार्यवाही वे सदर में हो या जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां, एजेन्ट या सहायकों की अदालतें उस समय स्थित हो, निर्देश कर सकते हैं। उस पंचायत में तीन या पाँच व्यक्ति, एजेन्ट या उसके सहायकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो उक्त मामले के संबंध में अधिकतर जानकारी रखते हैं। इस पंचायत के लिये चुने गये पंचों की नियुक्ति उस समय तक नहीं की जायेगी जबतक कि वादी, प्रतिवादी और गवाहगण उपस्थित न हो जाएं। वादी और प्रतिवादी दोनों को ही नियुक्त किये किसी भी पंच–पंचों पर आपत्ति करने का हक रहेगा। और उसकी आपत्ति यदि सही निकले तो आपत्ति उठे पंच या पंचों की जगह अन्य पंच या पंचों की नियुक्ति की जायेगी। जब गवर्नर जेनेरल के एजेन्ट या उसके सहायक द्वारा मामले को पंचायत में विचाराधीन रखने का निश्चय हो गया और जब नियुक्ति किये गये पंचों का कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया वादी और प्रतिवादी या उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर पंचायत के निर्णय को स्वीकार करने के लिए कहा जायेगा।

उसके तुरन्त बाद ही एजेन्ट या सहायक द्वारा एक सरकारी मुहर्रिर को नियुक्त किया जाएगा जो पंचायत को सारी कार्यवाही और निर्णय का लेखा–जोखा रखेगा। मुहर्रिर कचहरी के ही किसी उपयुक्त स्थान में या उसी के निकटवर्ती उचित जगह पर यथाशीघ्र पंचायत बैठायेगा और मामले की छानबीन कराएगा। जब दोनों पार्टियों से बयान लिया जायेगा और गवाहों से भी जिरह समाप्त हो जायगा तब पंचगण मुहर्रिर, वादी प्रतिवादी और गवाहों को दूर हट जाने का आदेश देंगे। तत्पश्चात वे अपने बीच एक निर्णय पर पहुचेंगे और मुहर्रिर को बुलाकर उसे अपना निर्णय लिखित रूप में सबके हस्ताक्षर के साथ दे देंगे जो उसे पंचायत बैठानेवाले अधिकारी के पास ले जाएगा। पंचों के निर्णय के आधार पर ही अदालत न्यायादेश या फैसला देगी जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकेगी और न इसे अस्वीकार किया जा सकेगा। इसके विरूद्ध अपील अथवा इन्कार तभी संभव होगी जब कि न्यायादेश स्थानीय रीति विधि या दस्तूर के दरखिलाफ हो अथवा कौंसिल में गवर्नर जेनेरल द्वारा प्रतिपादित किसी कानून का उल्लंघन करे।

21. जब एक ही क्षेत्र के दो गाँव के सीमा रेखा का विवाद हो तो पंचायत निकटवर्ती गाँवों के जाने–माने प्रमुख व्यक्तियों से निर्मित किया जायगा। ऐसे चुने गये पंचायत विवाद के क्षेत्र में ही जाकर उचित जाँच–पड़ताल की कार्रवाई पूरी करेंगे और स्थायी सीमा मार्का या चिह्न बैठा देंगे

जिससे विवाद का कोई अंदेशा न रह जाए। एक ही विस्तृत क्षेत्र में पड़नेवाले दो जमिन्दारियों, जागिरदारियों अथवा तालुकावों की सीमा रेखा के विवाद होने पर पंचायत निकटवर्ती के ऐसे जमीन्दारों और जागिरदारों से बनाया जायगा जो क्षेत्र के यशस्वी व्यक्ति हों। वे सरजमीन पर जाकर पूरी तहकीकात करके विवाद के उन्मूलन के लिये स्थायी सीमा रेखा अंकित कर देंगे। इन दो अपवाद छोड़कर अन्य मामलों में पंचायत नियम 20 के आधार पर ही बनाया जायेगा।

22. पंचायतों में मामले का सुपूर्द किया जाना शीघ्रता से जनता को न्याय दिलाना ही है। जो भी व्यक्ति पंचायतों में लिये जाएंगे उन्हें सबके हित में काम करने के लिये कटिबद्ध होना है। फिर भी एजेन्ट या उसके सहायकों को चाहिये कि उपरोक्त आधार पर पंचों के चुनाव से ध्यान रखना है कि किसी को किसी प्रकार असुविधा न हो।

23. जब सीमा विवाद दो बड़े जागिरों के बीच हो जो सीधे सरकार को ही मालगुजारी जमा करते हों तो एजेन्ट या उसका सहायक ही सरजमीन पर जाकर सुक्ष्मतम तहकीकात के बाद अपना फैसला सुना देंगे। सहायक के अदालत के फैसले पर एजेन्ट के यहां अपील आने पर, भले ही मामला एजेन्ट की अदालत या सहायक के अदालत में आरम्भ हुआ हो, एजेन्ट ही इसका अन्तिम निर्णय देंगे। सिर्फ जब इस फैसले से देश में अशांति का

भय हो तभी एजेन्ट गवर्नर जेनरल और कौंसिल को पूर्व सूचना देंगे।

24. गवर्नर जेनरल का एजेन्ट तथा उनके सहायक इस बात पर जोर देंगे कि जनसाधारण अपने ही ग्राम पंचायतों में विवादों का निपटारा कर लें और अदालत में जाने से बचने की कोशिश करें।

25. किसी भी मामले में पार्टियां किसी भी स्टेज पर रजामन्दी करके आपसी समझौता के लिये स्वतन्त्र हैं। जब समझौता गवाहों के बयान और जिरह के पहले ही हो जाए तो उन्हें उनका अदालती शुल्क भी वापस कर दिया जा सकता है।

26. उसी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी भी मामले में वकीलों को केस लेने का अधिकार नहीं रहेगा। पार्टियां अपना केस स्वयं ही अथवा मुखतारों द्वारा अथवा निर्धारित प्रतिनिधियों द्वारा लड़ सकते हैं। परन्तु ऐसे मुखतारों या प्रतिनिधियों के मेहनताना या भत्ता के मामले अदालतों में नहीं उठाये जा सकते हैं।

27. भूमि सम्पत्ति का किसी प्रकार की बिक्री, हस्तान्तरण, नीलामी या बन्धक, मालगुजारी अदायगी के कारण या किसी अन्य कारण से गवर्नर जेनरल के एजेन्ट की अनुमति के बिना गैरकानूनी माना जायगा। बहुत से वकील मुखतारों के कुचक्र को देखते हुए जनसाधारण को बेकार मुकदमेबाजी से बचाने के लिये यह नियम

बनाया जा रहा है।

इस नियम का यह भी उद्देश्य है कि भूमि बपौती या स्वअर्जित हो, बिक्री, हस्तान्तरण और बन्धक–गिरवी से बचा रहे। भूमि के मालिक यदि अपनी इच्छा से ऐसा करना भी चाहें तो उनकी संतानों द्वारा जमीन की वापसी के लिस खून खराबी न होने पाए। और ताकि जंगल राजागण, जागिरदार और जमीन्दार लोग बिक्री , गिरवी आदि के झमेले में वे सम्मिलित न हो सकें। ये भी अनुमति प्राप्ति के बिना बिक्री, हस्तान्तरण या गिरवी नहीं कर सकते है। ऐसी स्वीकृति एजेन्ट या उसी क्षेत्र के उसके सहायकों के अदालत से प्राप्त की जा सकती है। वे दस्तावेज की पीठ पर अनुशंसा, दस्तखत और मुहर देकर बिक्री, हस्तान्तरण या गिरवी की सत्यापन करेंगे।

28. गवर्नरन जेनरल तुरन्त ही यह घोषणा कर देंगे कि भविष्य में राजाओं, जागीरदारों या जमीन्दारों अथवा अन्य भूपति जो पूर्वजों के जमाने से उनके अधिकार में है उनकी बिक्री, हस्तान्तरण या गिरवी आदि की स्वीकृति पर साधारणतः प्रतिबन्ध लगा रहेगा।

29. ऐसे भी मामले, जो एजेन्ट के अदालत में दाखिल, सुने और निर्गत किये गये और उनमें 5000/– रु0 से अधिक राशि की लेन–देन की बात रही हो और कोई एक पार्टी निर्णय से असन्तुष्ट हो तथा एजेन्ट को भी अपने ही निर्णय की उचिताई पर सन्देह हो तो वह पार्टी से

250/– रु0 मूल्य के स्टैम्प–पेपर में कैस के सभी मूल कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार करेंगे। वे इन्हें फारसी भाषा में अनुवाद और लिपिबद्ध करके सभी कागजातों के साथ सदर दीवानी को भेज देंगे। अन्य नियमावली की भिन्नता के रहते हुए भी ऐसे मामलों पर सदर दीवानी ही जांच–पड़ताल और निर्णय देंगे।

30. छोटे या बड़े भू–सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सभी विवादास्पद मामलों में चाहे ये मूल या अपील हों, अगर फैसले के द्वारा लोक शांति को खतरा पैदा हो तो एजेन्ट फैसला देने से पहले महामहिम गवर्नर जेनरल और कौंसिल से सलाह–मशविरा करेंगे।

31. लोक न्याय के प्रशासन में अगर कोई एक मुद्दा इस नियमावली के तहत छूट गया हो तो सहायकों के अदालत अथवा मुन्सिफों के अदालत गवर्नर जेनरल के एजेन्ट में निर्देशन और सुलह ही अदालती कार्यवाही पूरा करेंगे। एजेन्ट भी, हर मामले में जहां सरकार से निर्देशन की आवश्यकता पड़े, सभी निर्णयों पर रोक लगा देंगे जब तक कि गवर्नर जेनरल और कौंसिल को सूचना न दी जाए और उनसे अपेक्षित निर्देश प्राप्त न हो जाए

हस्ताक्षर थोम0 विल्किन्सन्स कैप्टेन

गवर्नर जेनरल का एजेन्ट।